

कार्यालय कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी जिला बैतूल  
क्रमांक 8 अ-82/ 17-18/2758 बैतूल दिनांक 16-3-2018  
प्रति,

संचालक,  
जल सम्पर्क संचालनालय,  
विज्ञापन शाखा, बानगगा चौराह,  
भेपाल ।


विषय:- सामाजिक समाघाट निर्धारण की रिपोर्ट का प्रकाशन कराने बाबत ।

-0-

म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के अन्तर्गत खोदरी लघु जलाशय हेतु मौजा देहगुड तहसील आठनेर की भूमि अर्जन के सम्बंध में सामाजिक समाघाट रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है ।

2-अतएव उक्त सामाजिक समाघाट रिपोर्ट का दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

  
( शशांक मिश्र )  
कलेक्टर,

बैतूल

बैतूल दिनांक 20-3-2018

पृ0क0 8 अ-82/ 17-18/2758  
प्रतिलिपि:-


1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैसदेही की ओर ( दो प्रतियों में ) अग्रेषित । एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति वापस भेजना सुनिश्चित करें ।

2- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा ) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की अओर ( दो प्रतियों में ) अग्रेषित । एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं एक प्रति वापस भेजना सुनिश्चित करें ।

3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सामाजिक समाघाट रिपोर्ट का प्रकाशन करने एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत में प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

4- तहसीलदार आठनेर , की ओर ( तीन प्रतियों में ) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा कराई जाकर वापस भेजना सुनिश्चित करे ।

5- प्रभारी एन आई सी सेंटर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

  
कलेक्टर, 16/3  
बैतूल

प्ररूप "ख"  
(नियम 5 देखिए)  
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

26/02/

- परियोजना का नाम इकोट्री प्रोजेक्ट (लक्ष सिवार्ड योजना)  
 लोक प्रयोजन सिंचाई कार्य  
 स्थल देहली  
 परियोजना का क्षेत्र देहली  
 विकल्प जिन पर विचार किया गया जी.ए. सिवार्ड इच्छा करने एक पेश  
 परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता कामगारों के जो संसाधन से  
 की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित मुक्त है  
 परियोजना निर्माण के चरण उत्थम - 20  
 परियोजना के प्रभावों को दर्शाने उत्थम में आठवें है  
 वाले क्षेत्र के नक्शे  
 परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि 15,336 हे०  
 भूमि का मूल्य निश्चित नहीं है/ 4,60,000/-  
 प्रभावित परिवारों की संख्या निश्चित नहीं है/ 2,08,000/-  
 परिसम्पतियां:-  
 लोक सम्पति भूमि 11:297 भवन निश्चित अन्य निश्चित  
 निजी सम्पति भूमि 11:039 भवन निश्चित अन्य निश्चित  
 विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या निश्चित  
 जिनकी भूमि अर्जित हुई  
 ग्राम देहली परिवारों की संख्या निश्चित  
 सामाजिक समाघात  
 (क) समाघातों का विवरण निष्कर्ष में उल्लेखित है।  
 (ख) समाघातों की संकेतक सूची निष्कर्ष में उल्लेखित है।  
 विकल्प जिन पर विचार किया गया  
 (क) यदि हां - तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ? जब उपरोक्त एक फल से  
 (ख) यदि नहीं - तो क्यों ? कारण का उद्देश्य  
 निष्कर्ष :- निश्चित

- (1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
- (2) प्रभावित भूमि के अर्जन के कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
- (3) प्रभावित भूमि के अर्जन से जो परिसम्पतियां प्रभावित हो रही है उनका विधिनुसार मुआवजा दिया जा रहा है।
- (4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है।
- (5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए है।
- (6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक है। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।

प्ररूप "ख"

[Signature]  
3426

[Signature]  
अनु विभागीय अधिकारी  
जल संसाधन अनुविभाग  
आठनेर

[Signature]

[Signature]  
S.D.O (R)  
(BHENSDEH)

[Signature]  
उपक. म. वि. वि. वि. वि. वि.  
मुक्त है (अ.)